सरदार सरोवर बाँध : आँकड़ों की सच्चाई

1. **नर्मदा घाटी विकास परियोजना** : 30 बड़े, 135 मझौले बाँध।
   : 3,000 छोटे बाँध : नियोजन अधूरा।
2. **सरदार सरोवर बाँध**: गुजरात में बन रहा, 138.68 मी. की ऊंचाई का बाँध।
   : 214 कि.मी. लम्बाई का जलाशय - 40,000 हे. डूब क्षेत्र (13,835 हे. जंगल सहित) - बाँध का काम पूरा, 16 जून 2017 से बाँध के 30 गेट बंद।
   : मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन जिलों के 192 गाँव व 1 नगर (धरमपुरी, जिला धार) डूब में हैं। पहाड़ी आदिवासी गाँव करीबन 50 हैं, बाकी निमाड़ के 140 से अधिक गाँव बड़ी जनसंख्या के, मैदानी इलाक़े में अतिउपजाऊ खेती और विविध व्यवसायों से भरेपूरे हैं।
   : महाराष्ट्र के 33 व गुजरात के 19 गाँव भी डूब में हैं। 100% पहाड़ी, आदिवासी गाँव है, उनमें से महाराष्ट्र के 7 पहाड़ी गाँव आज भी वनग्राम हैं।
   : सम्पूर्ण डूब क्षेत्र में कुछ गाँव आदिवासी / अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। 'पेसा' कानून लागू होता है उनगाँव में, वहाँ के आदिवासी (सतपुड़ा व विन्ध्य की पहाड़ी में) जल, जंगल, जमीन पर निर्भर हैं।
   : निमाड़ के बड़े गाँव में कई तरह के लोग हैं जैसे किसान, मजदूर, मछुआरे, केवट (नावडी वाले), व्यापारी, व्यावसायिक, कारीगर, छोटे उद्योग आदि ।

3. **ऐतिहासिक, पुरातत्वीय: दुनिया की सबसे पुरानी मानवीय वसाहट नर्मदा घाटी**

   : आदिमानव के अंश पुरातत्वशास्त्रियों को प्राप्त हुए हैं नर्मदा घाटी की 'नावड़ाटोली' से जो की सरदार सरोवर प्रभावित गाँव हैं।

   : पूरी घाटी में पाषाण युग से लेकर आजतक के युग तक के अंश उपलब्ध हैं। दुनिया में ऐसा कम ही स्थान हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे के कार्यों को आधे में रोककर, मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व

विभाग ने उसे रफादफा किया और डेस्क वर्क से रिपोर्ट बनायीं और सभी स्थलों को पुनर्वासित बताया।

4. <u>विस्थापन व पुनर्वास : नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार</u>

i. 25% से अधिक जमीन डूब में हो तो वैकल्पिक 2 हेक्टेयर खेती की जमीन की पात्रता होगी।

ii. हर विस्थापित को 60'x90' का घर प्लाट (भूखंड) व प्रतिस्थापन मूल्य (जितने में दुबारा वैसा ही घर बन सके), लोगों को मिले।

iii. सभी सुविधाओं के साथ पुनर्वास स्थल (ट्रिब्यूनल में सूची) बनाया जाए। उस सूची के अलावा जो सेवा - सुविधा मूलगाँव में हो वह सभी किया जाए। इस काम पर आने वाले सभी ख़र्च गुजरात सरकार वहाँ करेगी।

iv. डूब के 6 महीने पूर्व पुनर्वास हो उसके बाद ही मकान और जमीन खाली होंगे।

v. किसी की भी संपत्ति को बिना पुनर्वास के नहीं डूबा सकते।

<u>मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के अनुसार</u>

vi. एक्शन प्लान - 1993 के अनुसार हर भूमिहीन परिवार, मछुआरे, कुम्हार इत्यादि को वैकल्पिक आजीविका, विशेष फण्ड और विशेष एजेंसी के द्वारा वैकल्पिक आजीविका।

vii. मकान की प्रतिस्थापन मूल्य (जितने में दुबारा वैसा ही घर बन सके) मुआवजा के रूप में मिले।

viii. किसी भी पुनर्वास लाभ को नगद राशि में परिवर्तित नहीं करेंगे। किसी आदिवासी परिवार को जमीन के बदले नगद राशि देने के पहले जिलाधीश का प्रमाण पत्र जिससे साबित हो कि उस परिवार का इसमें अहित नहीं होगा; जरुरी है।

ix. दलालों को प्रोत्साहन देने वाला कोई भी नीति या कार्य सरकार नहीं करेगी।

x. हर विस्थापित का जीवन स्तर पुनर्वास के बाद पूर्व से अधिक ऊँचा होगा।

5. <u>सर्वोच्च अदालत के निर्णय</u> :-

18.10.2000 - आदेश : नर्मदा ट्रिब्यूनल का फैसला, राज्य की उदार पुनर्वास नीति व एक्शन प्लान, तीनों पर पूरा अमल जरुरी है।

: हर परिवार का जीवन स्तर पुनर्वास के बाद बेहतर होना चाहिए।

: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (पुनर्वास उपदल, पर्यावरण उपदल एवं GRA (शिकायत निवारण प्राधिकरण)) की सलाह एवं सूचना के बाद ही बाँध के कार्य को 90 मीटर की ऊंचाई से आगे बढ़ा सकती है।

: भूस्वामी सहित, अतिक्रमण दार, टापू होने वाली जमीन धारक, पुनर्वास के लिए भूअर्जन किये सभी को पुनर्वसित करना योग्य नीति है।

15.3.2005 : संपत्ति (जमीन या मकान) के मालिक के साथ उसके वयस्क पुत्र (भूअर्जन की धारा - 4 की तिथि पर) व वयस्क अविवाहित पुत्री को भी स्वतंत्र लाभ (जमीन, भूखंड के) प्राप्त होंगे।

: तात्कालिक डूब में आने वालों का भी विस्थापन / डूब के पहले पुनर्वास ज़रूरी है।

: खेती लायक, सिंचाई लायक जमीन ही देनी होगी, कोई और बंजर भूमि नहीं चलेगी।

8.2.2017 : वैसे प्रभावित परिवार जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन के विशेष पुनर्वास पैकेज के 5.58 लाख रुपए ज़मीन के बदले नहीं लिए वैसे परिवारों को 60 लाख रुपए दिए जाएँ।

: मध्य प्रदेश शासन फर्जी रेजिस्ट्री में फंसाए गए परिवारों को प्रत्येक को 15 लाख दे।

: हर पुनर्वास स्थल पर सभी सुविधा ट्रिब्यूनल के अनुसार तैयार हो। विस्थापितों की शिकायतों के तुरंत बाद 8 जून तक GRA, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को सुविधायें सुनिश्चित करने की दिशा में आदेश दें।

: GRA आदेश से असंतुष्ट विस्थापित कोर्ट में जा सकेंगे।

: झा आयोग के आधार पर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज।

: 31.7.2017 तक विस्थापित पैकेज मिलते ही डूब क्षेत्र छोड़े व नहीं तो राज्य बल का उपयोग करे।

6. <u>विस्थापितों की संख्या का खेल</u>:-

: 2008 में मध्य प्रदेश शासन ने विस्थापित परिवारों की 53,000 से अधिक की संख्या में से 4,374 परिवारों को बिना कारण हटाकर संख्या कम कर दी।

: 2010 - मध्य प्रदेश शासन ने बैकवाटर लेवल कम करके एक साज़िश रची है। केंद्रीय जल आयोग के बदले एक Technical Sub Committee की रिपोर्ट, जिसे केंद्रीय विशेषज्ञ समिति ने अवैज्ञानिक कहकर नकारा था, आज तक उसी को आधार मानकर एवं केंद्रीय जल आयोग की मात्र सहमति लेकर हजारों परिवारों को डूब से बाहर व पुनर्वास से वंचित किया गया।

: बैकवाटर लेवल के बदलने से प्रथम 5,500 व 2015 के सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत मध्य प्रदेश के शपथपत्र अनुसार 15,946 परिवारों को भूअर्जन व आधे लाभ देने के बाद डूब से बाहर घोषित किया गया। उनकी संपत्ति (मकान) आज भी न.घा.वि.प्रा. के नाम है, संपत्ति को कानूनन तरीक़े से वापिस करना ज़रूरी है।

: इनमें कुछ डूब भुगत चुके परिवार भी बाहर हैं और अब फिर उनमें से कईओं के नाम 'राजपत्र' की डूब में आनेवाले, 31.7.2017 तक हटाने के परिवारों की सूची में शामिल हैं। यह कैसे हो सकता है ?

: हक़ीक़त यह है कि आज भी मध्य प्रदेश में 40,000 से अधिक परिवार व लाखों लोग डूब क्षेत्र में बिना सम्पूर्ण पुनर्वास रह रहे हैं।

7. <u>पुनर्वास की स्थिति</u>:-

: गुजरात के 4,500 परिवार, मध्य प्रदेश के 5,500 व महाराष्ट्र के 770 मिलकर, करीबन 11,000 परिवारों का जमीन के साथ पुनर्वास गुजरात में हुआ ।

: महाराष्ट्र में 4,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ लेकिन समस्याएँ आज भी हैं, जैसे सैंकड़ो परिवारों को ½ हेक्टेर ज़मीन ही मिली है, ना की 2 हेक्टेर।

: मध्य प्रदेश में मात्र 53 लोगों को वह भी मात्र सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को ज़मीन दी गयी। उनको भी आजतक जमीन का कब्ज़ा नहीं, घर प्लाट नहीं इत्यादि कई समस्या GRA में आज भी प्रलंबित है।

: भूमिहीनों के लिए वैकल्पिक आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 8.2.2017 के आदेश में भी उनके बारे में कोई आदेश नहीं है। आजीविका अनुदान मात्र दिया गया जब कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किये एक्शन प्लान 1993 के अनुसार आजीविका देनी थी। झा आयोग के अनुसार अनुदान भुगतान में भ्रष्टाचार व धांधली हुई है।

: आज भी 6,000 से ज्यादा प्रकरण / शिकायत GRA के समक्ष प्रलंबित हैं। इनमें से आदेश और उसपर अमल होने तक पुनर्वास पूर्ण नहीं माना जा सकता।

: आज भी सुप्रीम कोर्ट के नए पैकेज का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। 8.2.2017 के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। 60 लाख व 15 लाख के पैकेज के सैंकड़ों लाभार्थी आज भी वंचित हैं। उनके आवेदन GRA के समक्ष प्रलंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताई संख्या बदली है और सूची (सम्पूर्ण) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पास भी उपलब्ध नहीं।

: आज भी 88 में से 78 पुनर्वास स्थल बता रहे हैं, जिसमे से कोई भी पुनर्वास स्थल सभी सुविधाओं के साथ तैयार नहीं है और ऐसे में कोई कैसे वहाँ जा कर रहे ?

: सिर्फ तीन जिले बड़वानी, धार और खरगोन में आन्दोलन द्वारा किये सर्वे में मूलगाँव में 308 धार्मिक स्थल है जिसमें से 117 स्थल बेहद प्राचीन, 64 स्थल 100 साल से ज्यादा समय से स्थित, व 22 स्थल 50 साल से ज्यादा समय से स्थित हैं।

: मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश की घोषणा, अख़बारों के विज्ञापन, व 5 जून 2017 के आदेश में घोषित नए पुनर्वास में लाभ, जो अपर्याप्त तथा कुछ कानून के खिलाफ भी है, उनपर अमल करना बाकी है। इन लाभों के लिए 15 जुलाई के पहले घर/गाँव/संपत्ति खाली करने की लगायी गयी शर्त गलत है - लोगों ने नकारा। मात्र 2% लोगों ने वचनपत्र भरे, उनमें भी सबको लाभ नहीं मिला।

: स्थायी निवास के बदले किसान, मजदूर, भूमिहीन, दुकानदार, व्यावसायिक, सभी को 180 वर्ग फीट की टीन शेड्स में पुलिस बल लगाकर फेंकने की तैयारी हो रही है। हजारों का पुलिस बल तैयार है- अघोरी युद्ध के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथी भी तैयार हैं, न्याय के लिए अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए और जीतने के लिए ।

लड़ेंगे ! जीतेंगे ! **नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ**